जी0 आर0—346 / 20

<u>आदेश</u>

10.02.20 भारतीय दंड विधान की धारा 337, 338, 279, 427 में वांछित अभियुक्त बिजेन्द्र यादव उर्फ धीरेन्द्र कुमार न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र के साथ आत्म समर्पण किया। जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा चालित किया गया। जमानत के विन्दु पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक के विरूद्ध लगाये गये आरोप की धारा जमानतीय है तथा प्रथम उपस्थिति है। अतएव उसे जमानत पर मुक्त करने का प्रार्थना किया गया। सुना।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदक के विरूद्ध लगाये गये आरोप की धारा जमानतीय है। तथा प्रथम उपस्थिति है। अतएव ऐसी स्थिति में अभियुक्त को मो0 5,000 / —रुपये के सामान धनराशि के दो प्रतिभूओं द्वारा बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित,

ए0सी0जे0एम0—तृतीय,
मुजफ्फरपुर, पश्चिमी।

<u>बादमें</u>
10.02.20

आवेदक की ओर से बन्ध पत्र शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया जिसे जांचोंपरान्त सही पाकर <u>स्वीकृत</u> किया जाता है।

लेखापित,

ए0सी0जे0एम0—तृतीय,
मुजफ्फरपुर, पश्चिमी।

तत्पश्चात्

10.2.20 आवेदक धर्मवीर कुमार की ओर से एक आवेदन दाखिल कर वाद में जप्त वाहन को मुक्त करने का प्रार्थना किया गया। सुना।

कार्यालाय जब्त वाहन के सम्बंध में संबंधित थाना एवं जिला परिवहन पदाधिकारी से प्रतिवेदन की मांग करें।

लेखापित,

ए0सी0जे0एम0—तृतीय,
मुजफ्फरपुर, पश्चिमी।